न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 27

प्रकरण संख्या 10 / 22

अनवान

1. श्री भेरूसिंह पिता श्री गोविन्द सिंह राजपूत निवासी माण्डकला, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नी श्री भेरूसिंह राजपूत निवासी माण्डकला, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :—04.10.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 253 की आराजी नम्बर 195 / 2 रकबा 10 बीघा भूमि में नवीन सेटलमेंट के बाद राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि दर्ज नहीं हैं जबकि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण संख्या 787 / 15.01.2013 से प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है :—

   I. रिपोर्ट अनुसार संवत् 2069—72 की जमाबंदी में साबीक आराजी नं0 195 / 2 रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थी भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह, कैलाशकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी माण्डकला पटवार मण्डल सिंहाड के नाम खाता संख्या 253 में दर्ज थी।

   II. बन्दोबस्त के पश्चात प्राप्त आधार जमाबंदी में सवंत् 2078—81 में उपरोक्त संदर्भित साबीक आराजी 195 मी. के जो नवीन खसरा न0 बने जो निम्मानुसार है :—

क्र.स.	पूर्व का खाता सं.	खसरा स. साबीक	कुल रकबा	[illegible]	खसरा सं.	कुल रकबा	रिकार्ड काश्तकार के स्वामित्व की स्थिति
1	253	195 मी0	24.05	1	375	0.0600	वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

					1	376	2.6500	खाता जमाबंदी से विलोपित कर दिया गया है। अन्य खातेदार को वादी आवंटन स्थल पर नक्शे में दर्शा दिया गया है।
					254	877	0.2400	
					1	878	0.1000	
					1	888	0.4100	
					1	1132	1.7700	

III. उर्पयुक्त अनुसार आ. न. 886 रकबा 1.0800 दिपक कुमार पिता दोलत राम सिन्दा सा. उदयपुर। आ.न. 887 रकबा 1.0800 सरदारसिंह पिता नहारसिंह राजपूत सा. देह के नाम अंकित कर दिया है।

IV. प्रार्थी श्री भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह कैलाशकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी माण्डकला पटवार मण्डल सिंहाड का खाता ही विलोपित कर दिया है। जबकि साबिक जमाबंदी व राजस्व नक्शे में तरमीम संलग्न नक्शा ट्रेस से पुष्टि होती है कि प्रार्थी खातेदार कृषक है।

V. प्रार्थी खातेदार पुनः अपना खाता हाल जमाबंदी में प्रतिस्थापिता कराना चाहता है। चूंकि नक्शा ट्रेस में भू–प्रबंध कार्यवाही के दोरान त्रुटिपूर्ण रूप से अन्य खातेदारान को दर्शा दिया है। अतः प्रार्थी खातेदार को नवीन खसरा सं. 888 रकबा 0.4100, 1132 रकबा 1.7700 सम्पूर्ण खसरा सं. 888 रकबा 0.4100 में से 0.3900 कुल किता 2 रकबा कुल 2.1600 प्रार्थी के नाम शुद्धि से दर्ज किये जाना प्रस्तावित किया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का ध्यानर्पूवक अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2069-72 की खाता संख्या 253 आराजी नम्बर 195/2 रकबा 10 बीघा प्रार्थी भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह कैलाशकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। नवीन सेटलमेंट में प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि को विलोपित कर दिया गया जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि अपने नाम दुरस्त करवायें जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की राजस्व ग्राम माण्डकला के साबिक आराजी नम्बर 195 में विभिन्न आवंटन किये गये थे। भू–प्रबंधन की कार्यवाही के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

दोरान प्रार्थी खातेदार को आराजी नम्बर 195/2 रकबा 10 बीघा आवंटित हुई थी। जिसकी पुष्टि हेतु नक्शा ट्रेस A व जमाबंदी पेश की गई। प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 195/2 के मौके पर हाल आराजी नम्बर 886, 887 बने। उक्त आराजी नम्बर 886, 887 प्रार्थी के नाम दर्ज होने चाहिए थे जो भू–प्रबंधन की कार्यवाही के दोरान नहीं किया गया। आराजी नम्बर 886 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि दिपक कुमार पिता दोलतराम सिंदा सा. देह के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 887 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि सरदारसिंह पिता नहारसिंह सा. देह राजपूत के नाम दर्ज है। चूंकि त्रुटिपुर्ण खसरा नम्बरों पर उपरोक्त खातेदारों को अभिलिखित कर दियें गयें है किन्तु वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड व नक्शे में बिना बडे बदलाव के नवीन आराजी नम्बर 888 व 1132 रकबा 2.1800 हैक्टेयर जो की साबिक आराजी नम्बर 195 मी. से बने में से 10 बीघा के समतुल्य क्षेत्रफल पर पुनः खाता दर्ज कराने पर रजामंद है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वादी स्वंय की रजामंदी से बिना कोई राजस्व नक्शे में परिवर्तन किये हुए आराजी नम्बर 1132 रकबा 1.7700 हैक्टेयर सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 888 रकबा 0.4100 हैक्टेयर में से 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 195/2 रकबा 10 बीघा भूमि नवीन सेटलमेंट के बाद विलोपित कर अन्य के नाम दर्ज कर दी गई जिसे न्यायाहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मोडकला पटवार हल्का सिहाड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 1132 रकबा 1.7700 हैक्टेयर सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 888 रकबा 0.4100 हैक्टेयर में से 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह, कैलाशकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्श ट्रेस C अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

GCMSसंख्या 2022/27
प्रकरण संख्या 10/22
भेरूसिंह बनाम राज्य सरकार

पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 04.10.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner